भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं.2443
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

2443. श्री श्रीधर कोटागिरी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च 2022 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा था कि रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण भारत से समुद्री वस्तुओं का निर्यात प्रभावित होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत में आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है और मत्स्यपालन के निर्यात में कमी से राज्य में लाखों मछुआरों की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और
(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण मत्स्य निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान भारत से रूस को समुद्री खाद्य निर्यात 98.84 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान 112.53 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। रूस-यूक्रेन विवाद के कारण यूक्रेन को समुद्री खाद्य निर्यात प्रभावित हुआ और यह अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान हुए 11.2 मिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर अप्रैल-जनवरी 2022-23 के दौरान 1.36 मिलियन अमरीकी डॉलर का रह गया है। तथापि, अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान भारत से समुद्री खाद्य का कुल निर्यात 6.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के दौरान 6.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जिसमें 3% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) और (ग) वर्ष 2021-22 में आंध्र प्रदेश भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में लगभग 35% की हिस्सेदारी के साथ समुद्री खाद्य के प्रमुख निर्यातकों में से एक है। वाणिज्य विभाग के तहत एक सांविधिक निकाय, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) के माध्यम से, सरकार ने समुद्री खाद्य निर्यात पर रूस-यूक्रेन विवाद के प्रभावों को काउन्टर करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं: -

i. भारतीय दूतावास (ईओआई)मास्को के सहयोग से 20-23 के दौरान सितंबर 2022 में विश्व खाद्य, मास्को मेले में भागीदारी । मेले के दौरान संगृहित व्यापार पूछताछ को व्यापार वृद्धि के लिए भारतीय निर्यातकों में संवितरित किया गया था ।

ii. अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान रूसी समुद्री खाद्य आयातकों और भारतीय निर्यातकों के साथ चार वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठकें (वीबीएसएम) आयोजित की गईं।

iii. निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) द्वारा पहले से ही अनुशंसित और अधिक निर्यातकों को सूचीबद्ध करने के लिए रूस के फेडरल सर्विसेस फॉर वेटरिनरी एण्ड फाइटो सैनिटरी सुपरविजन (एफएसवीपीएस) के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की गई ।

iv. रूस के साथ रुपये के रूप में व्यापार समझौते की सुविधा।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2366

<u>दिनांक **15** मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कृषि उत्पादों का निर्यात

2366. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों, 2021-2022 और 2022 2023 में भारत से निर्यात किए जाने के दौरान कृषि उत्पादों हेतु विहित स्वच्छता उपायों और पादपीय स्वच्छता उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ख) निर्यात किए जा रहे कृषि उत्पादों का ब्यौरा क्या है और जिन देशों को ये निर्यात किये जा रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भारत के कृषि उत्पादों का प्रमुख आयातक समझे जाने वाले देशों के साथ क्षेत्रीय समझौतों को ठोस रूप देने की दिशा में कोई प्रगति की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ङ) क्या कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि विदेश व्यापार नीति में कुछ परिवर्तनों की अपेक्षा की जा रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) भारत संगरोध कीटों को कम करने के लिए विभिन्न पादप स्वच्छता उपायों अर्थात निरीक्षण, परीक्षण और मिथाइल ब्रोमाइड युक्त धूम्रीकरण, एल्यूमीनियम फास्फाइड युक्त फ्यूमीगेशन, हॉट वाटर इमर्सन ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूटी), वेपर हीट ट्रीटमेंट (वीएचटी) आदि सहित विभिन्न पादप स्वच्छता उपचारों का क्रियान्वयन करके आयातक देशों की स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) जरूरतों का अनुपालन करता है। पादप संगरोध प्राधिकरण, निर्यात निरीक्षण परिषद, एपीडा, एमपीईडीए और अन्य कमोडिटी बोर्ड आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद और बाजार-विशिष्ट स्वच्छता और पादप स्वच्छता अनुपालन तंत्र स्थापित करते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों (2020-21 और 2021-22) के दौरान भारत से निर्यात किए गए कृषि उत्पादों का उत्पाद-वार और देश-वार विवरण क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि व्यवसाय सहित व्यापार के दायरे को बढ़ाने के लिए, भारत विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर अपने व्यापार भागीदारों के साथ स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी (एसपीएस),व्यापार की तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) और बाजार पहुंच मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मचों पर अन्तर्ग्रस्त है। पिछले तीन वर्षों में भारत ने एफटीए/पीटीए भागीदार देशों में कृषि उत्पादों सहित भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच संवर्धन के लिए यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) और मॉरीशस के साथ एक अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ङ) और (च) कृषि उत्पादों के संबंध में व्यापार नीति बनाना एक सतत प्रक्रिया है और नीति में बदलाव कई कारकों जैसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में मांग और आपूर्ति की स्थिति; अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतें; खाद्य सुरक्षा चिंताएं; सैनिटरी, फाइटोसैनेटरी और गुणवत्ता के मुद्दे आदि को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं ।

नीतिगत उपायों के अलावा, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम भी उठाए जाते हैं। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजना भी तैयार की गई है। सरकार कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्यात हब के रूप में जिला पहल का उपयोग कर रही है। जिला निर्यात हब पहल के तहत, देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात सम्भावता वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सांविधिक संगठन है, उसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश है। एपीडा अपनी निर्यात प्रोत्साहन योजना के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता रहा है।

वाणिज्य विभाग कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए गए हैं ।

अनुबंध- ।

दिनांक **15.03.2023** को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (ख) के उत्तर से संबंधित अनुबंध ।

भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात - उत्पाद-वार					
मूल्य यूएसडी मिलियन में; मात्रा लाख इकाइयों में					
वस्तुएं	इकाई	2020-21		2021-22	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
समुद्री उत्पाद	किग्रा	11677.58	5962.39	13980.14	7772.36
चावल (बासमती के अलावा)	टन	131.49	4810.80	172.89	6133.63
चीनी	टन	75.18	2789.91	104.57	4602.65
मसाले	किग्रा	16070.59	3983.98	14277.18	3896.03
चावल - बासमती	टन	46.30	4018.41	39.44	3537.49
भैंस का मांस	टन	10.86	3171.13	11.75	3303.78
अपशिष्ट सहित रॉ कॉटन	टन	12.14	1897.21	12.59	2816.24
गेहूँ	टन	21.55	567.93	72.45	2122.13
अरंडी का तेल	किग्रा	7343.36	917.24	7152.10	1175.50
विविध संसाधित मदें		0.00	866.04	0.00	1169.05
अन्य अनाज	टन	30.76	705.38	38.59	1087.39
तेल खाद्य	टन	43.67	1585.04	29.26	1031.94
कॉफ़ी	किग्रा	2452.10	719.66	3330.99	1020.74
ताज़ा फल	टन	9.73	768.54	11.66	877.22
ताज़ी सब्जियां	टन	23.40	723.97	24.68	815.26
प्रसंस्कृत फल और जूस	किग्रा	5328.71	695.56	6297.04	778.30
चाय	किग्रा	2126.88	756.26	2086.14	751.07
अनाज से तैयार उत्पाद	टन	4.04	636.97	4.16	652.49
डेयरी उत्पाद	किग्रा	1183.34	323.09	1919.54	634.89
मूंगफली	टन	6.38	727.21	5.14	629.28
आयुष और हर्बल उत्पाद	किग्रा	1205.58	539.88	1261.12	612.12
अनिर्मित तम्बाकू	किग्रा	1782.97	517.54	1962.61	570.40
काजू	टन	0.70	420.43	0.75	453.08
ग्वारगम खाद्य	टन	2.35	262.99	3.22	447.61
प्रसंस्कृत सब्जियां	किग्रा	3670.99	424.70	3082.75	412.29
तिल के बीज	किग्रा	2732.60	425.64	2421.46	407.15
दाल	टन	2.77	265.57	3.87	359.41
निर्मित तम्बाकू		0.00	359.17	0.00	353.17
मिल्ड उत्पाद	किग्रा	3970.56	207.13	6995.65	305.49
मादक पेय	एल टीआर	2503.33	330.22	2009.21	274.07
वनस्पति तेल	टन	3.02	604.12	0.98	221.01
सीरा	टन	13.18	178.75	14.05	217.92
कोको उत्पाद	किग्रा	257.77	149.78	273.23	153.68
फल / सब्जी के बीज	किग्रा	322.85	125.16	209.89	113.34
चपड़ा	किग्रा	78.76	87.83	84.86	105.80
फ्लोरिकल्चर उत्पाद	किग्रा	156.95	77.84	236.95	103.61
पोल्ट्री उत्पाद		0.00	58.70	0.00	71.04
अन्य तेल बीज	टन	0.85	61.24	0.60	68.92
पशु आवरण	किग्रा	138.88	56.23	138.27	63.54
भेड़/बकरी का मांस	टन	0.07	44.64	0.09	60.11
नाइजर के बीज	किग्रा	195.91	21.58	60.30	8.30
प्राकृतिक रबर	टन	0.11	16.67	0.04	7.24
अन्य मांस	टन	0.01	2.47	0.02	6.11
कैश्यू नटशेल लिक्विड	किग्रा	37.36	2.66	49.44	4.36
प्रसंस्कृत मांस	टन	0.01	1.71	0.00	1.55
कुल योग			**41869.37**		**50208.74**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

अनुबंध- II

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2366 के भाग (ख) के जवाब से संबंधित अनुबंध।

भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात - देश-वार		
		मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में
देश	**2020-21**	**2021-22**
अमेरीका	4913.29	5848.11
बांग्लादेश पीआर	2850.81	5541.78
चीन पी आरपी	3734.19	3843.33
यू अरब ईएमटीएस	1948.65	2625.79
इंडोनेशिया	1523.76	2173.81
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	1629.62	2109.00
सऊदी अरब	1607.46	1547.00
मलेशिया	1171.02	1504.57
नेपाल	1306.03	1437.45
ईरान	1175.55	1121.69
नीदरलैंड	831.63	1003.42
इराक	878.88	953.84
मिस्र आरपी	523.44	931.46
श्री लंका डीएसआर	525.84	836.13
यूके	801.40	804.16
जापान	671.53	739.19
थाईलैंड	645.63	722.21
जर्मनी	575.90	604.87
सूडान	417.31	599.28
रूस	522.97	582.34
कनाडा	545.53	572.26
बेनिन	454.25	564.68
बेल्जियम	468.55	533.72
कोरिया आर.पी	422.29	516.33
यमन गणराज्य	468.11	510.14
सोमालिया	354.83	503.61
ज़िबूटी	247.99	502.16
फिलिपींस	301.51	476.64
इटली	391.13	467.90
फ्रांस	387.99	449.30
अन्य देश	9572.26	9582.56
कुल योग	**41869.37**	**50208.74**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2362

दिनांक 15 मार्च,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

2362. श्री के. नवासखनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि यदि भारत आयात शुल्क बढ़ाकर चीन से आयात पर अंकुश लगाता है, तो इससे व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा पर बोझ कम होगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): भारत और चीन दोनों विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्य हैं और किसी भी डब्ल्यूटीओ सदस्य से आयात को केवल घरेलू कानूनों, नियमों, आदेशों, विनियमों, तकनीकी विशिष्टताओं, पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों की सम्पुष्टि न करने की स्थितियों या अनुच्छेद XX में प्रदान किए गए शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जीएटीटी) के सामान्य अपवादों के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

(ख) और (ग): आयात शुल्क सर्वाधिक मित्र राष्ट्र (एमएफएन) की स्थिति के सिद्धांत पर लगाया जाता है और उन्हें जनहित और घरेलू उद्योग की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी विशेष उत्पाद के लिए आयात शुल्क को किसी विशेष डब्ल्यूटीओ सदस्य के लिए सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के लिए बोर्ड भर में बढ़ाए बिना नहीं बढ़ाया जा सकता है जब तक कि एमएफएन सिद्धांत से कोई अल्पीकरण न हो।

चीन से आयातित अधिकांश वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और कच्चे माल जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, ऑटो घटक, मोबाइल फोन के पुर्जे आदि हैं, जिनका उपयोग तैयार उत्पादों को बनाने के लिए भी किया जाता है जो भारत से बाहर भी निर्यात किए जाते हैं। सीमा शुल्क दरों को, घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, कच्चे माल/मध्यस्थों की उपलब्धता, मांग आपूर्ति अंतर जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए कैलिब्रेट किया जाता है। सीमा शुल्क बढ़ाने या घटाने से पहले एक व्यापक समीक्षा की जाती है और सरकार मानव, पशु और पादप

के स्वास्थ्य की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए वस्तुओं के आयात को विनियमित करने के लिए टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों के माध्यम से उचित कार्रवाई करती है।

सरकार लगातार आयातों की निगरानी करती है और हितधारकों को आयात निर्भरता को कम करने के लिए संवेदनशील बनाती है, जिसमें घरेलू क्षमता का निर्माण/बढ़ाना, आयात में अचानक वृद्धि को रोकने के लिए व्यापार उपचार उपायों का उपयोग, घटिया आयात की जांच के लिए अनिवार्य तकनीकी मानकों को अपनाना आदि शामिल हैं। साथ ही, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चीन में संबंधित अधिकारियों के साथ लंबित बाजार पहुंच और गैर-टैरिफ बाधाओं के मुद्दों को नियमित आधार पर उठाती है ताकि व्यापार घाटे को कम किया जा सके।

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को एंटी-डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी या मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) लगाने की सिफारिश करने का अधिकार है, अगर भारतीय उद्योग आयात में वृद्धि या अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण 'गंभीरक्षति' या ‘क्षति की आशंका' में है। वर्तमान में, अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण चीन के उत्पादों पर 54 एंटी-डंपिंग उपाय और 4 काउंटरवेलिंग शुल्क उपाय लागू हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2331

<u>दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

नारियल और नारियल उत्पादों का निर्यात

2331. श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में नारियल और कॉयर सहित इसके उत्पादों के निर्यात की भारी संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कॉयर सहित नारियल और इसके उत्पादों के निर्यात की मात्रा और मूल्य का उत्पाद-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में नारियल/कॉयर उत्पादों के लिए निर्यात बाजार प्रोत्साहन योजना लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हां। वर्ष 2020-21 के दौरान, 18,095 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती की गई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 125.40 मिलियन नारियल का उत्पादन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नारियल प्रसंस्करण गतिविधि में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में, खोपरा/शुष्कित नारियल/विशुद्ध नारियल तेल और कॉयर उत्पादों सहित अन्य की कुछ इकाइयां द्वीप में कार्य कर रही हैं। द्वीपों में उत्पादित कॉयर सहित नारियल और इसके उत्पादों को मुख्य रूप से घरेलू खपत के लिए देश की मुख्य भूमि में आपूर्ति की जा रही है।

(ख): विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए कॉयर उत्पादों सहित नारियल उत्पादों का उत्पाद-वार और देश-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-। और अनुबंध-॥ में दिया गया है।

(ग) और (घ): नारियल विकास बोर्ड, नारियल और नारियल उत्पादों (कॉयर और कॉयर उत्पादों को छोड़कर) के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद होने के नाते निर्यात बाजार को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है: -

(i) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, अंतर्राष्ट्रीय विपणन पर सेमिनार्स/कार्यशालाओं, अभिनव पैकेजिंग आदि में भागीदारी को सुविधाजनक बनाना।
(ii) नारियल प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना,
(iii) ब्रांड संवर्धन सहायता,
(iv) हवाई अड्डों/रेलवे स्टेशनों/पर्यटक स्थलों आदि में बिक्री आउटलेट स्थापित करने के लिए सहायता।
(v) उभरते अंतरराष्ट्रीय बाजारों, व्यापार सूचना में नवीनतम परिवर्तनों पर अद्यतन और व्यापार नीति में परिवर्तन आदि सम्बंधी व्यापार सूचना प्रदान करना।
(vi) नारियल उत्पादों की गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं,
(vii) पैकेजिंग, स्थिर गुणवत्ता/शेल्फ लाइफ आदि पर शोध संस्थानों के सहयोग से प्रौद्योगिकी उन्नयन पर मार्गदर्शन।

इसके अलावा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के कॉयर उत्पादक सभी राज्यों में कॉयर और कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, कॉयर बोर्ड, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय, निर्यात बाजार संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्र योजना को लागू कर रहा है जिसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में खुद को स्थापित करने के लिए एमएसएमई की सहायता करना और स्कीम के विभिन्न उप-घटकों, जैसे बाजार विकास सहायता (एमडीए), पहली बार एमएसएमई निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई), अंतर्राष्ट्रीय बाजार आसूचना प्रसार आदि के लिए रूपरेखा के माध्यम से भारतीय कॉयर क्षेत्र के निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना है।

***

दिनांक 15/03/2023 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2331 के भाग (ख) के उत्तर में उललिखित अनुबंध

अनुबंध- I

मात्रा हज़ार मीट्रिक टन में; मूल्य अमरीकी डालर मिलियन में								
कॉयर और कॉयर उत्पाद सहित नारियल और नारियल उत्पादों का उत्पादवार - निर्यात								
मद का विवरण	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23 (अप्रैल'22-जनवरी'23)**	
	मात्रा	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**	**मात्रा**	**मूल्य**
नारियल सुखाया हुआ	1.44	1.66	1.97	3.86	7.46	15.98	4.18	7.04
ताजा एंडोकार्प	3.18	1.27	10.37	7.00	12.26	7.30	11.84	5.42
सूखे एंडोकार्प	0.42	0.91	0.98	2.25	1.06	2.56	2.05	2.71
अन्य एंडोकार्प	1.57	2.32	1.60	3.52	1.06	2.14	1.40	3.06
निर्जलित और एंडोकार्प को छोडकर ताजा नारियल	29.04	22.63	28.77	23.00	41.47	21.34	39.18	17.39
निर्जलित और एंडोकार्प को छोडकर सूखा नारियल	10.50	16.84	8.77	15.28	8.30	13.73	2.05	2.75
खोपरा	2.33	5.09	2.30	4.51	11.33	18.65	15.20	19.69
नारियल (खोपरा) कच्चा तेल और अंश	0.05	0.23	0.24	1.28	4.72	9.57	6.31	13.00
नारियल (खोपरा) रिफाइंड तेल और अंश	7.82	19.71	12.03	33.28	16.04	47.92	13.82	36.06
कॉयर का मंडित पार्टिकल बोर्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉयर के अन्य इन्सुलेशन बोर्ड	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कॉयर ब्रिसल फाइबर, कॉयर मैट्रेस फाइबर, कॉयर शॉर्ट फाइबर, कॉयर बिट फाइबर, डेकोर्टिकेटेड कॉयर फाइबर	315.54	71.47	356.92	85.66	404.15	116.85	288.51	42.21
कर्ल्ड कॉयर फाइबर/मशीन ट्विस्टेड फाइबर	19.55	5.53	15.09	4.74	9.92	3.58	8.72	2.71
कुल निर्यात	**391.46**	**147.70**	**439.04**	**184.37**	**517.75**	**259.61**	**393.28**	**152.04**

स्रोत: डीजीसीआईएस

दिनांक 15/03/2023 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2331 के भाग (ख) के उत्तर में उललिखित अनुबंध

अनुबंध-II

मात्रा हजार मीट्रिक टन में; मूल्य अमरीकी डालर मिलियन में

कॉयर और कॉयर उत्पादों सहित नारियल और नारियल उत्पादों का देश-वार निर्यात								
निर्यात का देश	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23 (अप्रैल'22-जनवरी'23)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चीन जन.गण	317.50	70.80	353.58	83.96	397.95	114.88	285.96	40.92
अरब अमीरात	20.42	23.56	25.64	28.02	4 8.00	48.89	40.54	32.56
अमेरीका	2.15	3.52	3.63	8.34	3.48	7.82	2.19	5.67
सऊदी अरब	2.23	2.84	3.98	6.00	4.05	7.60	3.17	5.04
मलेशिया	4.73	7.63	6.69	11.57	3.49	7.17	1.46	3.70
अफगानिस्तान	4.56	6.91	1.00	1.62	4.38	6.95	5.24	6.16
नेपाल	6.06	5.47	5.74	5.30	8.00	6.54	8.45	5.90
कतर	3.17	3.43	4.18	4.78	4.88	6.23	4.11	4.40
वियतनाम समाजवादी गणराज्य	1.19	2.34	2.15	4.59	1.87	4.89	0.81	1.95
नीदरलैंड	1.94	1.16	1.32	0.98	2.87	4.64	3.02	5.11
अन्य	27.51	20.03	30.62	28.81	38.78	44.00	38.32	40.64
विश्व	**391.46**	**147.70**	**439.04**	**183.37**	**517.75**	**259.61**	**393.28**	**152.04**

स्रोत: डीजीसीआईएस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.203*

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मसालों का निर्यात

***203. श्री रतन लाल कटारिया :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मसालों के निर्यात में पंद्रह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 2020-21 में ऐसे निर्यात का मूल्य 69,529 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"मसालों का निर्यात" पर 15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वर्ष 2021-22 में, भारतीय मसालों का निर्यात मूल्य के संदर्भ में 30,576.44 करोड़ रूपये और मात्रा के संदर्भ में 15,31,154 टन रहा जिसने भारत को विश्व में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक बनाया।

(ग): भारतीय मसालों का निर्यात वर्ष 2018-19 में 19,505.81 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 2O21-22 में 30,576.44 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले तीन वर्षों की अवधि में मूल्य के संदर्भ में 57% की वृद्धि को दर्शाता है।

(घ): वर्ष 2020-21 में, भारतीय मसालों का निर्यात मूल्य 30,973.32 करोड़ रुपये था।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2406

<u>दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात में कमी

2406 श्रीमती माला रायः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान देश से निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन क्षेत्रों के नाम तथा ब्यौरा क्या है जो इस गिरावट से प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या निर्यात में कमी का विदेशी मुद्रा भंडार पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारत का समग्र निर्यात (वाणिज्यिक वस्तुएं और सेवाएं) 2021–22 (अप्रैल–जनवरी) में 546.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2022–23 (अप्रैल–जनवरी) में 639.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 17.07 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ करता है।

(घ) और (ड.): दिसम्बर, 2022 के अंत में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो आयात के 9.3 महीनों की गणनानुसार है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23 के अनुसार, भारत के पास अपने चालू खाते घाटे को प्रबंधित करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2373

दिनांकः 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्यात प्रोत्साहन

2373 श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और प्रसंस्करण उद्योगों सहित निजी चैनलों को निर्यात प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही हैः

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और प्रसंस्करण उद्योगों सहित निजी चैनलों को कोई विशेष निर्यात प्रोत्साहन दिए जाने का विचार नहीं है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2348

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन पूंजीगत समूह (ईपीसीजी)

2348 श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

प्रो. रीता बहुगुणा जोशीः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री कृष्णपाल सिंह यादवः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

डॉ. सुजय विखे पाटीलः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्धन पूंजीगत समूह (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को छूट प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने छूट के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए ही इन क्षेत्रों का चयन किया है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्रों को ईपीसीजी योजना से यह छूट प्रदान करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस छूट को जारी रखने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की गई है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हां। कोविड–19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सार्वजनिक सूचना सं. 53/2015–2020 दिनांक 20 जनवरी, 2023 के तहत होटल, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक क्षेत्रों के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निम्नलिखित छूट प्रदान की है।

i) वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए, कोई औसत निर्यात दायित्व रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

ii) निर्यात दायित्व (ईओ) की अवधि को इसके समाप्त होने की तिथि से दिनांक 01.02.2020 और 31.03.2022 के भीतर आने वाली निर्यात दायित्व की अवधि के दिनों के बराबर की अवधि तक आगे बढाया जा सकता है। इस प्रकार की अवधि को संयोजन शुल्क का भुगतान किए बिना बढाया जाएगा।

(ख) जी नहीं। होटल, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षिक क्षेत्रों सहित अन्य सभी क्षेत्रों के ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों को भी निम्नलिखित तरीके से लाभ प्रदान किए गए। कोविड – 19 महामारी के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने अधिसूचना संख्या 57/2015–2020 दिनांक 31 मार्च, 2020, सार्वजनिक सूचना संख्या 67/2015–2020 दिनांक 31 मार्च, 2020, अधिसूचना संख्या 28/2015–2020 दिनांक 23 सितंबर, 2021 और सार्वजनिक सूचना संख्या 53/2015 –2020 दिनांक 20 जनवरी, 2023 जारी की जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों को राहत प्रदान की गई। ये राहतें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:

(i) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की वैधता 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो ऐसी अवधि को इसकी समाप्ति की तारीख से 6 महीने के लिए स्वतः आगे बढ़ा हुआ माना जाएगा।

(ii) यदि ईओ की अवधि 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के दौरान समाप्त हो जाती है, तो ऐसी अवधि को समाप्त होने की तारीख से 6 महीने के लिए स्वतः बढ़ा हुआ माना जाएगा।

(iii) जहां मूल समाप्ति तिथि 1 फरवरी, 2020 से 31 जुलाई, 2020 के भीतर आती है, वहां संस्थापन प्रमाणपत्र जमा करने की समय सीमा समाप्ति की तारीख से 6 महीने के लिए स्वतः ही आगे बढ़ा दी गई थी।

(iv) ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए, जहां मूल या विस्तारित ईओ अवधि 01.08.2020 और 31.07.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो रही है, ईओ अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के 31.12.2021 तक बढ़ाई जाएगी। तथापि, यह विस्तार मूल/विस्तारित ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख पर शेष ईओ पर मूल्य के अर्थो (मुक्त विदेशी मुद्रा में) में 5% अतिरिक्त निर्यात दायित्व के अधीन है।

(v) ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए ईओ अवधि के विस्तार की अनुमति इसकी समाप्ति की तारीख से उतने दिनों के लिए दी गई थी, जितने दिनों के लिए प्राधिकार पत्रों की मौजूदा ईओ अवधि 01.02.2020 और 31.07.2021 के भीतर आती है। इस तरह के ईओ विस्तार को संयोजन शुल्क के भुगतान के बिना दिया जा सकता है। तथापि, यह विस्तार 31.03.2022 तक शेष ईओ पर मूल्य के अर्थों (मुक्त विदेशी मुद्रा में) में 5% अतिरिक्त ईओ के अधीन है।

(vi) ईपीसीजी स्कीम के तहत उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहां पिछले वर्ष की तुलना में क्षेत्र/उत्पाद समूह में कुल निर्यात में 5% से अधिक की गिरावट आई है, सरकार नीति परिपत्र जारी करती है ताकि वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व पिछले वर्ष की तुलना में संबंधित वर्ष के दौरान उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यात में कमी के अनुपात में कम किया जा सके। डीजीएफटी ने इस संबंध में नीति परिपत्र संख्या 37/2015–20 दिनांक 10 सितंबर, 2021, 43/2015–20 दिनांक 27 जुलाई, 2022 और 44/2015–20 दिनांक 17 नवंबर, 2022 जारी किया है।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों को कोविड–19 महामारी के कारण हुई कठिनाई के कारण छूट प्रदान की गई है।

(घ) और (ड) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2319

<u>दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात को बढ़ावा देना

2319. श्रीमती प्रतिमा मण्डल :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करने के संबंध में सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों को क्षेत्र-वार और राज्य-वार आवंटित की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संभारतंत्र संबंधी बाधाओं में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कर छूट का भी प्रावधान किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान कितनी छूट प्रदान की गई है और निर्यात को बढ़ाने में उक्त छूट की भूमिका क्या है तथा उक्त छूट का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हाँ। वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, निर्यात को बढ़ाने के लिए उपयुक्त अवसंरचना सृजित करने में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करने के लिए निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) वित्त वर्ष 2017-18 से क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम के

तहत, केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों (या उनके द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी वाले उनके संयुक्त उद्यमों) को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में निर्यात अवसंरचना की स्थापना करने या उन्नयन करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सीमावर्ती हाटों, भू-सीमा शुल्क केन्द्रों, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं, कोल्ड चैन्स, व्यापार संवर्धन केंद्रों, निर्यात भंडारण और पैकेजिंग, एसईजेड और पत्तन/हवाई अड्डा कार्गो टर्मिनसों जैसी महत्वपूर्ण निर्यात लिंकेज वाली अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के दिशानिर्देश https://commerce.gov.in/trade-promotion/trade-promotion-assistance/ पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, शिपिंग बिलों में जिला स्तर के विवरण को शामिल करने के लिए निर्यात आंकडों को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), राजस्व विभाग ने परिपत्र संख्या 09/2020 - सीमा शुल्क दिनांक 05.02.2020 जारी किया है। ऐसा जिलों के स्तर पर निर्यात आंकडों को अधिक प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए किया गया है जो निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों में सहायता करेगा।

(ख) वाणिज्य विभाग राज्य की शक्ति के आकलन के आधार पर एक व्यापक निर्यात कार्यनीति तैयार करने में उनकी सहायता करके देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने हेतु राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सक्रिय रूप से वार्ता तथा कार्य कर रहा है।

टीआईईएस के तहत, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 2021-22 और 2022-23 (9 मार्च, 2023 तक) के दौरान कुल 40 निर्यात अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। वाणिज्य विभाग की योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में एक डिजिटल घटक है जो देश में अवसंरचना से संबंधित भू-स्थानिक आंकडों को एकीकृत करता है और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की योजना बनाता है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अवसंरचना और आर्थिक मंत्रालयों/विभागों ने अपने स्वयं के अनुकूलित योजना पोर्टल बनाए हैं जो पीएम गति शक्ति एनएमपी से एकीकृत हैं। ये डिजिटल सिस्टम अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और उनके समकालिक

कार्यान्वयन के लिए आंकडों पर आधारित निर्णय लेने में मदद करते हैं। पीएम गति शक्ति तंत्र को अपनाकर 150 से अधिक महत्वपूर्ण अवसंरचना अन्तरालों को अभिज्ञात किया गया है । इसका उद्देश्य लाजिस्टिक्स लागत को कम करना और देश में आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करना है।

(घ) और (ङ) ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम आयातित इनपुटों पर सीमा शुल्क और निर्यात वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले घरेलू इनपुटों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बोझ से छूट देती है। यह योजना सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर ड्रॉबैक नियम, 2017 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जाती है। निर्यात उत्पादों पर शुल्क वापसी सुनिश्चित करती है कि निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे। पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए कुल ईडीआई आधारित ड्यूटी ड्राबैक के तहत संवितरित राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	18128
2021-22	23920
2022-23(अक्टूबर, 2022 तक)	17261

जीएसटी के तहत निर्यात पर कर छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, निर्यातक या तो (i) माल या सेवाओं या दोनों के निर्यात पर चुकाए गए कर; या (ii) कर के भुगतान के बिना निर्यात किए गए माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का दावा करने के पात्र हैं। आईजीएसटी के भुगतान के साथ सेवाओं के निर्यात और आईजीएसटी के भुगतान के बिना माल और सेवाओं के निर्यात के कारण निर्यातकों को जीएसटी के तहत दी गई प्रतिदाय की राशि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)**
2019-20	31632.61
2020-21	52050.25
2021-22	66781.89
2022-23(28 फरवरी, 2023 तक)	63417.55

निर्यात उत्पाद में शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना: आरओडीटीईपी योजना वर्ष 2021 में आरंभ की गई और वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित और सीबीआईसी द्वारा प्रशासित है। योजना बजट सीमित है। योजना के तहत आवंटित बजट इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)**
2021-22	12454
2022-23	13699

राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट योजना: आरओएससीटीएल योजना वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित और सीबीआईसी द्वारा प्रशासित है। योजना बजट सीमित है। योजना के तहत आवंटित बजट इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)**
2021-22	6946
2022-23	7640

स्रोत: **सीबीआईसी, राजस्व विभाग

****

<u>अनुबंध</u>

निर्यात को बढ़ावा देने के संबंध में श्रीमती प्रतिमा मंडल द्वारा 15.3.2023 को उत्तर हेतु लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2319 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

टीआईईएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं और जारी की गई निधियों का विवरण {वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 (09.03.2023 तक)}

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वर्ष	स्वीकृत नई परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई टीआईईएस निधि (करोड़ रुपये में)
1.	कर्नाटक	2019-20	0	2.65*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0.35*
		2022-23	5	25.92
		कुल	**5**	**28.92**
2.	केरल	2019-20	1	10
		2020-21	0	0
		2021-22	1	18.09*
		2022-23	0	0
		कुल	**2**	**28.09**
3.	मणिपुर	2019-20	0	0
		2020-21	0	5.63*
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	0	5.63
4.	आंध्र प्रदेश	2019-20	0	9.9856*
		2020-21	2	13 **
		2021-22	0	0
		2022-23	1	1.40
		कुल	**3**	**24.3856**
5.	तमिलनाडु	2019-20	5	15.91*
		2020-21	1	14.4584*
		2021-22	4	22.94
		2022-23	3	28.16*
		कुल	**13**	**81.4684**
6.	मध्य प्रदेश	2019-20	0	8.04*
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0

		2022-23	0	0
		कुल	**0**	**8.04**
7.	उत्तर प्रदेश।	2019-20	0	0.48
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	1	2.74
		कुल	**1**	**3.22**
8	महाराष्ट्र	2019-20	0	1.52*
		2020-21	1	6.37^
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	**1**	**7.89**
9	त्रिपुरा	2019-20	0	0
		2020-21	2	2.58 **
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	**2**	**2.58**
10	पश्चिम बंगाल	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	6.83*
		2022-23	0	0
		कुल	**0**	**6.83**
11	हिमाचल प्रदेश	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	1	10
		2022-23	1	0
		कुल	**2**	**10**
12	चंडीगढ़	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	2.82*
		2022-23	0	0
		कुल	**0**	**2.82**
13	असम	2019-20	2	5.7725
		2020-21	0	5.6875*
		2021-22	0	3.96*
		2022-23	0	0
		कुल	**2**	**15.42**
14	पंजाब	2019-20	2	0
		2020-21	0	5.77*
		2021-22	1	10
		2022-23	0	3.43

		कुल	**3**	**19.20**
15	झारखंड	2019-20	1	9.80
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	**1**	**9.80**
16	सिक्किम	2019-20	0	0
		2020-21	1	8.87
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	**1**	**8.87**
17	हरियाणा	2019-20	1	0
		2020-21	0	6.06*
		2021-22	0	0
		2022-23	0	0
		कुल	**1**	**6.06**
18	बिहार	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	1	2.88
		कुल	**1**	**2.88**
19	मेघालय	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	1	2.41
		कुल	**1**	**2.41**
20	राजस्थान	2019-20	0	0
		2020-21	0	0
		2021-22	0	0
		2022-23	1	3.56
		कुल	1	3.56
		कुल अनुदान	**40**	**278.074**

*पूर्व स्वीकृत परियोजना/पिछले वित्तीय वर्ष में अनुमोदित नई परियोजना के लिए अनुवर्ती किश्तों का संवितरण शामिल है ।

**निधियों को अभी तक वितरित नहीं किया गया है।

^निधि आवंटित की गयी थी लेकिन बाद में वित्त वर्ष 2022-23 में परियोजना को रद्द कर दिया गया था।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.203*

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मसालों का निर्यात

***203. श्री रतन लाल कटारिया :**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय मसालों के निर्यात में पंद्रह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 2020-21 में ऐसे निर्यात का मूल्य 69,529 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

"मसालों का निर्यात" पर 15 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 203 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वर्ष 2021-22 में, भारतीय मसालों का निर्यात मूल्य के संदर्भ में 30,576.44 करोड़ रूपये और मात्रा के संदर्भ में 15,31,154 टन रहा जिसने भारत को विश्व में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक बनाया।

(ग): भारतीय मसालों का निर्यात वर्ष 2018-19 में 19,505.81 करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 2O21-22 में 30,576.44 करोड़ रुपये हो गया। यह पिछले तीन वर्षों की अवधि में मूल्य के संदर्भ में 57% की वृद्धि को दर्शाता है ।

(घ): वर्ष 2020-21 में, भारतीय मसालों का निर्यात मूल्य 30,973.32 करोड़ रुपये था।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2427

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

बीज निर्यात

2427. श्री जुएल ओरामः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत से बीज निर्यात यहां के उत्पादन की तुलना में कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा बीज निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बीज, फार्मा और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों की आवश्यकता का अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बीज महासंघ के अनुसार, 2020 के दौरान वैश्विक बीज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.14% थी। सरकार बीजों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। भारत अक्तूबर, 2008 से ऑर्गनाइजेशन फॉर इकनॉमिक को -आपरेशन एण्ड डिवलपमेंट (आईसीडी) सीड स्कीम्स का सदस्य रहा है। भारत छह ओईसीडी बीज योजनाओं अर्थात् अनाज, मक्का, ज्वार, क्रूसिफर्स और अन्य तेल या फाइबर प्रजातियों, ग्रासेस और लेग्यूम्स और सब्जियों, में भाग ले रहा है। ओईसीडी बीज योजनाओं में भाग लेना विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लेबल और प्रमाण पत्रों का उपयोग करके सदस्य देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। जब से भारत ओईसीडी बीज योजनाओं में शामिल हुआ है, उपरोक्त विभिन्न फसलों की 250 से अधिक भारतीय किस्मों को ओईसीडी की विविधता प्रमाणन सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत से बीज निर्यात में वृद्धि करने के लिए ओईसीडी बीज योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य बीज प्रमाणन एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण एसोसिएशन (आईएसटीए) की सदस्यता को भी बढ़ावा दे रहा है। आईएसटीए मानक बीज परीक्षण विधियों को विकसित करने में लगा हुआ है, गुणवत्ता वाले बीजों के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और खाद्य सुरक्षा में एक मूल्यवान योगदान देता है। भारत में आईएसटीए प्रत्यायित आठ सदस्य प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं।

(ग) और (घ) बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, मऊ (यूपी) के माध्यम से बुनियादी, रणनीतिक और अग्रिम अनुसंधान करने में लगी हुई है। निजी भागीदारों के सहयोग से आईआईएसएस द्वारा कई अनुसंधान परियोजनाएं की गई हैं। जहां तक भेषज क्षेत्र में अनुसंधान का संबंध है, भेषज विभाग ने निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा सामूहिक, समक्रमिक और सहक्रियात्मक रूप से भेषज क्षेत्र में किए गए अनुसंधान कार्यों की आवधिक रूप से समीक्षा और समन्वयन, करने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति (आईडीसी) का गठन किया है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2412

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष

2412. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान निर्यात मांग को पूरा करने के लिए ब्लू प्रिंट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात विकास प्राधिकरण प्रबंधन, वित्त, विधिक आदि विशेषज्ञों से समुचित रूप से सुसज्जित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विशेषज्ञों की भर्ती के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय मिलेट को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के दौरान निर्यात मांग को पूरा करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

i. एपीडा ने 30 प्रमुख मिलेट आयातक देशों और 21 मिलेट उत्पादक भारतीय राज्यों के लिए ई-कैटलॉग प्रकाशित किए हैं। ई-कैटलॉग में अलग-अलग देश की प्रोफाइल; भारतीय मिलेट और मिलेट मूल्य-वर्धित बास्केट; मिलेट उत्पादन परिदृश्य; भारत से मिलेट का निर्यात; मिलेट के अंतर्राष्ट्रीय मानक; और निर्यातकों, स्टार्टअप्स एफपीओ, आयातकों और देश में भारतीय मिशनों की संपर्क सूची के बारे में जानकारी होती है।

ii. एपीडा ने तीन ज्ञान भागीदारों की पहचान की है - भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर); मिलेट पर उत्कृष्टता केंद्र - कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बेंगलुरु; और यस बैंक। ये ज्ञान भागीदार मिलेट संवर्धन सामग्री के प्रकाशन के लिए विषय वस्तु तैयार करने, विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले मिलेट-संवर्धन आयाजनों के लिए प्रतिभागियों की पहचान करने, और मिलेट मूल्य श्रृंखला विकास करने में सहयोग करते है।

iii. एपीडा ने वर्ष 2023 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेंलों में भारतीय मिलेट को बढ़ावा देने और बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है।

iv. एक मिलेट-विशिष्ट वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में मिलेट, उसके स्वास्थ्य लाभ, उत्पादन और निर्यात सांख्यिकी, मिलेट निर्यातकों की निर्देशिका, और अन्य प्रासंगिक जानकारी होती है।

v. एपीडा मिलेट और मिलेट उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। रेडी टू ईट (आरटीई) और रेडी टू सर्व (आरटीएस) श्रेणियों जिनमें नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल मिक्स, बिस्कुट, कुकीज, स्नैक्स, मिठाइयां, अन्य मिलेट आधारित उत्पादों जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिलेट पर स्टार्ट-अप जुटाए जा रहे हैं।

vi. एपीडा ने, एक ज्ञान भागीदार के सहयोग से "सुपरफूड मिलेट्स: ए यूएसडी 2 बिलियन एक्सपोर्ट ऑपर्च्युनिटी फॉर इंडिया" नामक एक ज्ञान पुस्तक प्रकाशित की है। यह पुस्तक मिलेट के संभावित निर्यातकों की मदद करेगी।

vii. विशेष रूप से मिलेट के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) हेतु एक ई-प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यह मंच मिलेट-आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले प्रदर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए दुनिया भर के खरीदारों और आगंतुकों को आमंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

viii. एपीडा ने मिलेट की खपत को बढ़ावा देने और दुनिया भर में भारतीय मिलेट के लिए एक आला बाजार बनाने के लिए भारतीय मिलेट 'श्री अन्ना' के ब्रांड निर्माण में कदम रखा है; महत्वपूर्ण स्थलों पर विभिन्न सैंपलिंग और टेस्टिंग अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। अत्याधुनिक व्यापक अभियानों, सोशल मीडिया और डिजिटल ब्रांडिंग का उपयोग करके मिलेट और मिलेट-उत्पादों का संवर्धन किया जा रहा है।

(ख) और (ग) एपीडा को अधिक कार्यक्षम बनाने और इसे बाजार पहुंच का प्रभावी ढंग से अनुसरण करने में सक्षम बनाने, वाणिज्यिक आसूचना प्रदान करने, गुणवत्ता को बढ़ावा देने और कृषि निर्यात में मानकों का पालन करने और एसपीएस मुद्दों को संभालने के लिए सरकार ने एपीडा के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। पुनर्गठन योजना के तहत 20 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। यह पुनर्गठन योजना एपीडा को एक विशिष्ट उद्देश्य और समय के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों को नियुक्त करने में भी सक्षम बनाती है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2402

दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

पौधरोपण कामगार

2402. श्री हरीश द्विवेदीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में पौधरोपण कार्य में लगे कामगारों से संबंधित कोई आंकड़ा उपलब्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) देश में चाय, कॉफी, रबर और छोटी इलायची क्षेत्र के पौधरोपण कार्यों में लगे अनुमानित श्रमिकों की संख्या का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया हैः

<u>चाय क्षेत्रः</u>

क्र.सं	राज्य	बागान श्रमिकों की अनुमानित संख्या
1	असम	738211
2	पश्चिम बंगाल	333383
3	त्रिपुरा	10438
4	अरुणाचल प्रदेश	3399
5	सिक्किम	495
6	मेघालय	116
7	बिहार	352
8	हिमाचल प्रदेश	425
9	मिजोरम	40
10	उत्तराखंड	105
11	मणिपुर	0
12	नागालैंड	70
13	तमिलनाडु	34955
14	केरल	32200
15	कर्नाटक	2029
16	उत्तर प्रदेश	कोई चाय बागान नहीं
	कुल	**1156218**

स्रोतः चाय बोर्ड

<u>कॉफ़ी क्षेत्र:</u>

क्र.सं	राज्य	बागान श्रमिकों की अनुमानित संख्या
1	कर्नाटक	**5,17,708**
2	केरल	**44,194**
3	तमिलनाडु	**31,260**
4	गैर परम्परागत क्षेत्र	**79707**
5	एनईआर क्षेत्र	**3002**
	कुल	**6,75,871**

स्रोत: कॉफी बोर्ड (अनंतिम)

<u>प्राकृतिक रबर क्षेत्र</u>

क्र.सं	**राज्य**	**रबर बागानों में अनुमानित औसत दैनिक रोजगार**
1	केरल	304000
2	तमिलनाडु	13300
3	त्रिपुरा	45600
4	असम	29800
5	कर्नाटक	29500
6	अन्य राज्य	28800
	कुल	**451000**

स्रोत: रबर बोर्ड

<u>छोटी इलायची क्षेत्र :</u>

क्र.सं	**राज्य**	**बागान श्रमिकों की अनुमानित संख्या**
1	केरल	73500
2	कर्नाटक	21000
3	तमिलनाडु	10500
	कुल	**105000**

स्रोत: मसाला बोर्ड

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.210*

<u>दिनांक 15 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

***210. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:**
श्री अरुण साव :

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के कुल निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं कि देश से गुणवत्तायुक्त कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को निर्यात किया जाए?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे और श्री अरुण साव द्वारा "कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 15.03.2023 के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 210 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का वर्षवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ख) सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम उठाए हैं। राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और कई राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों (एसएलएमसी), कृषि निर्यात के लिए नोडल एजेंसियों और क्लस्टर स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश और उत्पाद-विशिष्ट कार्य योजनाएं भी तैयार की गई हैं। सरकार कृषि निर्यात नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्यात हब के रूप में जिला (डीईएच) पहल का उपयोग कर रही है। डीईएच पहल के तहत, देश भर के सभी 733 जिलों में निर्यात संभावना वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित उत्पादों की पहचान की गई है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात कार्यनीति तैयार की गई है।

वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक संगठन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिदेश प्राप्त है। एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता रहा है।

वाणिज्य विभाग, बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए) चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड आदि की निर्यात संवर्धन स्कीमों के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, किसानों, किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों को निर्यातकों के साथ बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए एक किसान कनेक्ट पोर्टल विकसित किया गया है। निर्यात-बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए क्लस्टरों में क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित की गई हैं। निर्यात के अवसरों का आकलन और दोहन करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियमित बातचीत की गई है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश विशिष्ट बीएसएम भी आयोजित किए गए हैं।

(ग) निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठनों जैसे कोडेक्स, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिज़ूटीज-ओआईई) और अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण कन्वेंशन (आईपीपीसी) द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानकों या आयातक देश द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना आवश्यक है । सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार का सार्थक विकास सुनिश्चित करने के लिए निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 के तहत निर्यात निरीक्षण परिषद की स्थापना की है। वाणिज्य विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय, ईआईसी को इस अधिनियम के तहत उन वस्तुओं को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है जो निर्यात से पहले गुणवत्ता नियंत्रण और/या निरीक्षण के अधीन होंगी; इन अधिसूचित वस्तुओं के लिए गुणवत्ता के मानक स्थापित करेंगी; और इन वस्तुओं पर लागू गुणवत्ता नियंत्रण और/या निरीक्षण के प्रकार को निर्दिष्ट करेगी। इसके अलावा, एपीडा, एमपीडा और अन्य कमोडिटी बोर्ड आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद और बाजार-विशिष्ट गुणवत्ता आश्वासन तंत्र स्थापित करते हैं।

****

अनुबंध

दिनांक 15.03.2023 को उत्तर हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 210 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित अनुबंध।

भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात							
मात्रा लाख इकाइयों में; यूएसडी मिलियन में मूल्य							
		2019-20		**2020-21**		**2021-22**	
विवरण	इकाई	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
समुद्री उत्पाद	किग्रा	13290.31	6722.07	11677.58	5962.39	13980.14	7772.36
चावल (बासमती के अलावा)	टन	50.56	2031.25	131.49	4810.80	172.89	6133.63
चीनी	टन	57.99	1966.44	75.18	2789.91	104.57	4602.65
मसाले	किग्रा	11934.41	3621.38	16070.59	3983.98	14277.18	3896.03
चावल - बासमती	टन	44.55	4372.00	46.30	4018.41	39.44	3537.49
भैंस का मांस	टन	11.52	3199.60	10.86	3171.13	11.75	3303.78
अपशिष्ट सहित कॉटन रॉ	टन	6.58	1057.34	12.14	1897.21	12.59	2816.24
गेहूँ	टन	2.20	62.82	21.55	567.93	72.45	2122.13
अरंडी का तेल	किग्रा	5939.07	894.36	7343.36	917.24	7152.10	1175.50
विविध संसाधित मदें	एनए	0.00	647.07	0.00	866.04	0.00	1169.05
अन्य अनाज	टन	5.01	205.19	30.76	705.38	38.59	1087.39
तेल खाद्य	टन	26.56	827.90	43.67	1585.04	29.26	1031.94
कॉफ़ी	किग्रा	2570.32	738.86	2452.10	719.66	3330.99	1020.74
ताज़ा फल	टन	8.35	770.25	9.73	768.54	11.66	877.22
ताज़ी सब्जियां	टन	19.31	651.68	23.40	723.97	24.68	815.26
प्रसंस्कृत फल और जूस	किग्रा	5688.83	646.83	5328.71	695.56	6297.04	778.30
चाय	किग्रा	2548.01	826.53	2126.88	756.26	2086.14	751.07
अनाज से तैयार खाद्य	टन	3.43	548.29	4.04	636.97	4.16	652.49
डेयरी उत्पाद	किग्रा	1111.72	280.43	1183.34	323.09	1919.54	634.89
मूंगफली	टन	6.64	715.81	6.38	727.21	5.14	629.28
आयुष और हर्बल उत्पाद	किग्रा	922.42	428.08	1205.58	539.88	1261.12	612.12
तम्बाकू अनिर्मित	किग्रा	1818.42	530.38	1782.97	517.54	1962.61	570.40
काजू	टन	0.84	566.82	0.70	420.43	0.75	453.08
ग्वारगम खाद्य	टन	3.82	461.53	2.35	262.99	3.22	447.61
प्रसंस्कृत सब्जियां	किग्रा	2233.08	311.71	3670.99	424.70	3082.75	412.29
तिल के बीज	किग्रा	2822.57	525.57	2732.60	425.64	2421.46	407.15
दाल	टन	2.32	213.67	2.77	265.57	3.87	359.41
तम्बाकू निर्मित	एनए	0.00	374.77	0.00	359.17	0.00	353.17
मिल्ड उत्पाद	किग्रा	2864.50	151.56	3970.56	207.13	6995.65	305.49
मादक पेय	एलटीआर	1394.53	232.68	2503.33	330.22	2009.21	274.07
वनस्पति तेल	टन	0.85	170.09	3.02	604.12	0.98	221.01
शीरा	टन	5.94	72.97	13.18	178.75	14.05	217.92
कोको उत्पाद	किग्रा	274.33	180.10	257.77	149.78	273.23	153.68
फल / सब्जी के बीज	किग्रा	192.22	109.24	322.85	125.16	209.89	113.34
चपड़ा	किग्रा	71.74	57.90	78.76	87.83	84.86	105.80
पुष्प उत्पाद	किग्रा	169.49	76.52	156.95	77.84	236.95	103.61
पोल्ट्री उत्पाद	एनए	0.00	81.04	0.00	58.70	0.00	71.04
अन्य तेल बीज	टन	0.90	61.79	0.85	61.24	0.60	68.92
पशु आवरण	किग्रा	128.16	56.10	138.88	56.23	138.27	63.54
भेड़/बकरी का मांस	टन	0.14	92.62	0.07	44.64	0.09	60.11
नाइजर के बीज	किग्रा	138.31	14.91	195.91	21.58	60.30	8.30
प्राकृतिक रबर	टन	0.13	21.71	0.11	16.67	0.04	7.24
अन्य मांस	टन	0.01	2.35	0.01	2.47	0.02	6.11
कैश्यूनट शेल लिक्विड	किग्रा	46.05	3.25	37.36	2.66	49.44	4.36
संसाधित मांस	टन	0.00	2.17	0.01	1.71	0.00	1.55
कुल			**35585.62**		**41869.37**		**50208.74**

स्रोत:डीजीसीआईएंडएस